

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, पाली (जिला-पाली)**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21A/2021  
अनावान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली

बनाम आदेश

जी.सी.एम.एस. चुन्नीलाल वगैरह निर्णय दिनांक-01/09/21

(अंतर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार, पाली के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- बोमादड़ा व भू.अ. निरीक्षक- बोमादड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पाली की अनुशंसा के आधार पर तहसील क्षेत्र पाली में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग, राजस्थान निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटाइजेशन हेतु संघालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नवशा स्थिति की अनुरूपता के लिए भौका एवं नवशा की स्थिति में सिन्नता के कलस्वरूप तरमीम कार्य में अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में मौजा ग्राम उतवण तहसील- पाली, जिला- पाली की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दखाने किये जाने के आदेश दिये जाते हैं खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तुर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

वर्तमान खाते का विवरण				शुद्धि की प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
128	69.00	15.15	गै.मु.आ. आवासीय कालोनी	चुन्नीलाल भंवरदास चन्द्रप्रकाश पि. भगवानदास, कमला बेवा सोहनदास प्रभुदास दिनेशदास ना.बा.की वली माता कमला परसराम कुन्दनदास लक्ष्मणदास पि.पुनमदास, जगनाथी बेवा पुनमदास कौम साद सा.आकेली	69	26.05	26.05	गै.मु. आवासीय कालोनी 15.15 गै.मुमकिन सार्वजनिक प्रयोनार्थ 10.10	चुन्नीलाल भंवरदास चन्द्रप्रकाश पि. भगवानदास, कमला बेवा सोहनदास प्रभुदास दिनेशदास ना. बा.की वली माता कमला परसराम कुन्दनदास लक्ष्मणदास पि. पुनमदास, जगनाथी बेवा पुनमदास कौम साद सा.आकेली (माकिक योजना मानचित्र अनुसार)
योग	02	26.05		शिवायचक, निवास या वास चरागाह के लिये नदी	01	26.05	26.05		

नोट- उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरों का खसरा नम्बर 69 में एकीकरण करने के आदेश दिये जाते हैं।

1. **नियमानुसार खसरा नम्बरों का खसरा नम्बर 69 में एकीकरण करने के आदेश दिये जाते हैं।**

2. **ख. नं. 69 की 40% भूमि अर्थात् 10.10 बीघा सार्वजनिक प्रयोनार्थ राजस्थान सरकार दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।**

(देशल दान आर्द्र एस.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, पाली